

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 78/16.17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री...शारदा देवी कुं. नाथ... वां अंचल निरीक्षक श्री...राजेश्वर दास... का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा...कुआ... थाना नं0...6.2.2... गैरमजरुआ खाता नं0...94/48... दाग नं0...2.2... रकवा 00-11-04 किस्म...पानी करीब श्री...राजानाथ रविदास... पिता...शिवन रविदास... साकिन... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री...राजानाथ रविदास... को दिनांक...30/5/16... समय...11:00 AM... पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

राजेश्वर दास
20/5/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

राजेश्वर रविदास

30/7/16

अभिलेख उपस्थापित। राजानाथ रविदास पिता शिवन रविदास के मौजा राजकुआ रविदास इलाका। उन्होंने सत्य के रूप में Real fixation के हल्का कर्मचारी वा जमीन परियोजना की हत्या प्रति समर्पित किया। उन्होंने बताया कि उक्त भूमि 6.2.2 डाग। अधिग्रहण का लिखा गया है। कर्मचारियों में उनके शब्दों में प्रतीति गली है। अभिलेख दिनांक 11/8/16 को रखें।

राजेश्वर दास
20/5/16

sandha

11816

अभिलेख उपस्थापित। राजपुरा। गन्दास इलाका। दलगांव समिति।
अभिलेख दिनांक 21/11/20 को रखा।


3031

राजपुरा गन्दास इलाका

31/7/20

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।

200 म²
मर (बाग)


अभिलेख

5.1.21

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक - 148 - प्रभारी अंचल निरीक्षक
महागामा से प्राप्त भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ
अभिलेख प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका आवेदन
प्रतिवेदनानुसार अधिखंड संदेहात्मक पंजी - II रैमट को भूमि
सूचना पराधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि
डि० सी० एल० ECL अधिग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत है।

अतः उक्त के आवेदन में अभिलेख की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।

लेखापित


अ. 200
महागामा।


अभिलेख अधिकारी
महागामा।

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 78/2016-17 जगरनाथ शर्मा पिता-
शिवन शर्मा का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या
78/2016-17 जगरनाथ शर्मा पिता-शिवन शर्मा..... का जांच
प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना
नं0-692 के गैरमजरुआ खाता सं0-24/..... के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा
00-11-04 धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल
पदाधिकरी, गोडडा के R.F. केश नं0-~~58/64.63~~ 58/64.63 के माध्यम से
जगरनाथ शर्मा पिता-शिवन शर्मा को प्राप्त हुआ है, जिसकी
छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख
की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

